

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड
किसान पेंशन योजना हेतु प्रार्थना-पत्र

समाज कल्याण की वेबसाईट

www.socialwelfare.uk.gov.in

- 1 * कृषक/किसान का नाम श्री/श्रीमती
- 2 * कृषक/किसान के पिता/पति का नाम श्री
- 3 * स्थायी पता
- मोहल्ला/ग्राम.....
- पोस्टआफिस
- ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....
- न्याय पंचायत विकासखण्ड.....
- तहसील..... जनपद.....
- 4 * जाति
- 5 * कृषक/किसान की जन्मतिथि/आयुआवेदक की आयु 60 वर्ष अधिक हो.....
- (भाग-दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण-पत्र की प्रति)
- 6 * कृषक की भूमि का विवरण- नकल खसरा/खतौनी की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी है।
- (उपरोक्त में से कोई एक नकल प्रति कृषक के प्रमाण हेतु अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
- 7 * क्या स्वयं की भूमि में काश्तकारी/कृषक कार्य करता है
- 8 * आवेदक का डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता.....
- * खातासंख्या

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- * IFSC Code No

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।
- 9 * वोटर पहचान पत्र संख्या
- 10 आधार नम्बर

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
- 11 * स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नम्बर

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य
क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत
अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम
विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

आवेदक द्वारा घोषणा-

मैं कु0/श्रीमती/श्रीघोषणा करती/करता
हूँ कि आवेदन-पत्र में उपरोक्त दी गयी सूचना सही हैं। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर
नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिये गये लाभ की वसूली भू-राजस्व की भाँति कर ली जाय।

दिनांक.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/श्रीपिता/पति.....
.....जो 60 वर्ष से अधिक आयु की है और जिनका मुख्य पेशा काश्तकारी का है, किसान पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में
आती हैं/आते हैं, का आज खुली बैठक में चयन किया।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं
मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

सत्यापन

सहायक निरीक्षक उद्यान /कृषि
ह0/नाम- मुहर

जिला उद्यान अधिकारी /मुख्य कृषि अधिकारी
ह0/नाम- मुहर

नोट-

- * सम्बन्धित कालम अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।
- सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रूप से भरे जाने हैं।